(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 02/2026

पंजीकरण संख्या :– 2026/5

बउनवान

धीरेन्द्र शर्मा निवासी रामगंजमंडी जिला कोटा (राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 09.03.2026

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.01.2026 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बारां के आदेश क्रमांक :–एफ4(5) (52)राजस्व/13/3621–27 दिनांक 19.02.2013 के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गदरेटा को ग्राम गदरेटा के आराजी खसरा संख्या 344 में 15.05 बीघा भूमि में से 7.10 बीघा भूमि आवंटित की गई है जिसके संबंध में 06 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी जो तहसीलदार, शाहबाद द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद के विरूद्व पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 09.02.2026 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद को जरिये सम्मन क्रमांक 80–81 दिनांक 10.02.2026 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 80–81 दिनांक 10.02.2026 से तलब किया गया। अपीलार्थी के नाम जारी रजिस्टर्ड सम्मन अपूर्ण पता होने के कारण वापिस प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

अपीलार्थी इस न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू.अ./2026/505 दिनांक 06.03.2026 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गदरेटा को ग्राम गदरेटा के आराजी खसरा संख्या 344 में 15.05 बीघा भूमि में से 7.10 बीघा भूमि आवंटन के संबंध में निर्धारित प्रारूप में सूचना चाही गई थी जो निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	श्रीमान् का कार्यालय पत्र आदेश क्रमांक व दिनांक	सूचना के संबंध में प्रत्युत्तर
1.	आवंटित खेल मैदान का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नामांतरण संख्या उपलब्ध कराने का श्रम करावें।	आवंटित खेल मैदान का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है। नामांतरण नहीं खुला है।
2.	श्रीमान् उपखंड अधिकारी महोदय, शाहबाद के आदेश क्रमांक/राजस्व/2025/506–08 दिनांक 06.03.2025 की अनुपालना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति पीडीएफ में उपलब्ध कराने का श्रम करावें।	पालना रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

3.	कार्यालय तहसीलदार महोदय शाहबाद के आदेश क्रमांक / भू.अभि. / 2025 / 694 दि. 09.04.2025 की अनुपालना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति पीडीएफ में उपलब्ध कराने का श्रम करावें।	फोटो प्रति संलग्न है।
4.	कार्यालय उपतहसील केलवाड़ा के आदेश क्रमांक / भू.अभि. / 2025 / 694 दि.09.04.2025 की अनुपालना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति पीडीएफ में उपलब्ध कराने का श्रम करावें।	फोटो प्रति संलग्न है।
5.	ग्राम गदरेटा के आराजी खसरा सं. 344 में 15.05 बीघा भूमि में से लोगो द्वारा कितना रकबा अतिक्रमित कर रखा है।	उक्त बिंदु प्रश्नवाचक है जो सूचना देने योग्य नहीं है।
6.	यदि बिंदु संख्या 05 के अनुसार अतिक्रमित है तो अतिक्रमियों के खिलाफ भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत जारी किये गये नोटिस की प्रमाणित प्रति पीडीएफ में उपलब्ध कराने का श्रम करावें।	संवत् 2081 व 2081 में धारा 91 के तहत जारी किये गये नोटिस की फोटो प्रति संलग्न है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक / भू.अ. / 2026 / 505 दिनांक 06.03.2026 से इस न्यायालय में भिजवा दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ तहसीलदार, शाहबाद से प्राप्त संपूर्ण सूचना अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद को निर्णय की सत्य प्रतिलिपि रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ